महत्वपूर्ण एवं खास

स्कूल परिसर में रखे 93 हजार कीमत के लोहे का सामान चोरी

रायपुर (आरएनएस)। माना कैम्प स्थित नवोदय विद्यालय परिसर में रखे सेंट्रींग प्लेट, कटर एवं अन्य लोहे का सामान जिसकी कुल कीमत लगभग 93 हजार रूपये अज्ञात चोरों ने पार कर दिया। घटना की रिपोर्ट मुकम्मल हक ने माना थान में दर्ज कराई है।

खेल मंत्री पटेल ने क्रिकेट प्रतियोगिता ने विजेताओं को किया पुरस्कृत

रायपुर (आरएनएस)। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री उमेश पटेल रायगढ़ जिले के सारंगढ़ में आयोजित राज्य स्तरीय टेनिस बाल क्रिकेट प्रतियोगिता के समापन समारोह में शामिल हुए। उन्होंने इस प्रतियोगिता के विजेता-उपविजेता एवं उत्कृष्ट खिलाड़ियों को पुरस्कृत कर उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। सारंगढ़ के खेलभांठा स्टेडियम में आयोजित इस क्रिकेट प्रतियोगिता में अन्य राज्यों की टीम ने भी भाग लिया। फाइनल मुकाबला सारंगढ़ और सम्बलपुर (उड़िसा) के बीच खेला गया। इस कड़े मुकाबला में संबलपुर की टीम विजयी रही। विजेता टीम को ट्राफी के साथ एक लाख 11 हजार रूपए एवं उपविजेता टीम को 55 हजार 500 रूपए एवं ट्राफी खेल मंत्री उमेश पटेल के हाथों प्रदान की गई। सफल आयोजन के लिए खेल मंत्री पटेल ने आयोजकों सहित सभी खिलाड़ियों को बधाई दी है। ज्ञात हो कि यह टेनिस बाल क्रिकेट प्रतियोगिता खेलभांठा स्टेडियम में विगत 18 बर्षों से चली आ रही है।

छत्तीसढ़ टूरिज्म बोर्ड के उपाध्यक्ष ने किया रामवनगमन पथ का अवलोकन

सुकमा (आरएनएस)। छत्तीसढ़ टूरिज्म बोर्ड के उपाध्यक्ष श्रीमती चित्ररेखा साहू बस्तर सम्भाग भ्रमण के अन्तर्गत 3 मार्च को सुकमा पहुंची। उन्होंने इस दौरान सुकमा जिला स्थित धार्मिक पर्यटन स्थल रामाराम मंदिर का दर्शन किया। इसके साथ ही उन्होंने राम वन गमन पथ का अवलोकन किया। श्रीमती साहू ने दीप स्तम्भ और पर्यटन विश्राम गृह के सम्बन्ध में चर्चा की। उन्होंने राम वन गमन पथ के विकास के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान सुकमा जिला पंचायत के अध्यक्ष हरीश कवासी, सुकमा नगर पालिका के अध्यक्ष जगन्नाथ साहू, तहसीलदार प्यारे लाल नाग सहित अन्य लोग उपस्थित थे।

पत्रकार से मारपीट करने वाला भाजपा नेता गिरफ्तार

पाटन/दुर्ग (आरएनएस)। पाटन क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य एवं बीजेपी नेता मोरध्वज मोनू साहू पर पत्रकार धीरेंद्र गोस्वामी से मारपीट करने का आरोप है. मोनू साहू के खिलाफ अमलेश्वर थाना में मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है. वहीं मोनू साहू ने आरोप लगाया है कि, पुलिस एकपक्षीय कार्रवाई कर रही है. जानकारी के अनुसार अमलेश्वर के वुडआइलैंड कॉलोनी में बच्चों के बीच विवाद हुआ था, इसके बाद दो पक्ष में मारपीट हुई, जिसमें बीचबचाव के दौरान पत्रकार धीरेंद्र गिरी गोस्वामी के साथ भी मारपीट हुई, जिसे रात में ही अस्पताल में दाखिल किया गया था।

अधेड़ पर जान लेवा हमला कर उसकी पत्नी से की मारपीट

रायपुर (आरएनएस)। शहर के गायत्री नगर में दो सगे भाईयों ने मिलकर अपने पड़ोस में रहने वाली दंपत्ति पति-पत्नी से मारपीट करने का मामला सामने आया है। इस मारपीट में पति पर आरोपियों ने डंडा व हसिया से हमला किया है, जिससे उसे गंभीर चोट आई है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार राजेन्द्र नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत गायत्री नगर में आरोपी संजय पिता मनोज पोपटानी 22 वर्ष एवं उसका छोटा भाई कृष्णा 20 वर्ष का अपने पड़ोसी सचिन सिंह पिता अनिल 42 वर्ष के साथ पुरानी रंजिश थी। इसी रंजिश के चलते 3 मार्च को शाम 6.30 बजे दोनों पक्षों के बीच विवाद हो गया। विवाद के बढ़ने से आरोपियों ने पहले सचिन पर डंडा और हसिया से हमला कर दिया, जिससे उसके सिर पर चोट आई। इधर अपने पति का बीच बचाव करने पहुंची सचिन की पत्नी से भी आरोपियों ने मारपीट कर दी।

उत्कृष्ट कार्यों के लिए दिव्यांगजन एवं संस्थाएं हुई सम्मानित

- राज्य स्तरीय समारोह में समाज कल्याण मंत्री ने किया सम्मान
- शासन के खर्च पर दुबई जाएगी नेत्रहीन पैराएथलीट कुमारी ईश्वरी
- प्रदेश के 122 दिव्यांगजन को दी गई 37.44 लाख रूपए की सहायता राशि
- समाज में अच्छे काम दूसरों के लिए बनते हैं प्रेरणा - श्रीमती भेंड़िया

रायपुर (आरएनएस)। दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए उल्लेखनीय कार्य करने वाली संस्थाओं, व्यक्तियों और दिव्यांगजनों को राजधानी रायपुर में आयोजित राज्य स्तरीय सम्मान समारोह में समाज कल्याण मंत्री श्रीमती अनिला भेंडिया ने सम्मानित किया। इस अवसर पर उन्होंने पैराएथलेटिक में राष्ट्रीय स्तर पर स्वर्णपदक प्राप्त करने वाली महासमुंद जिले की नेत्रहीन बालिका कुमारी ईश्वरी निषाद के खेलने के लिए दुबई जाने का खर्च विभाग द्वारा वहन करने की घोषणा की। समाज कल्याण विभाग द्वारा माना कैम्प स्थित संचालनालय परिसर में आयोजित समारोह में राज्य सभा सांसद श्रीमती छाया वर्मा, छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष ज्ञानेश शर्मा, विभिन्न जिलों से आए दिव्यांगजन और दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए कार्य करने वाली संस्थाओं के पदाधिकारी शामिल हुए। समारोह में अतिथियों ने विभागीय मेन्युअल पुस्तिका, शराब व्यसन मुक्ति पुस्तिका और ब्रेल कैलेण्डर का भी विमोचन किया।

श्रीमती भेंडिया ने कहा कि राज्य सरकार सभी जरूरतमंद और आभावग्रस्त व्यक्तियों के सहयोग के लिए प्रतिबद्ध है और उनके साथ खड़ी है। राज्य सरकार गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए अंतिम व्यक्ति तक मदद पहुंचाने मैदानी स्तर पर काम कर रही है। उन्होंने लोगों और संस्थाओं को धन्यवाद देते हुए कहा कि दिव्यांगजन, वरिष्ठ नागरिक, निराश्रित और उभयलिंगी व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए समाज के लोग और संस्थाएं भी संवेदनशीलता और समर्पण के साथ विभाग की मदद कर रहे है। दिव्यांग युवाओं को रोजगार देने के लिए नुक्कड़ टी-कैफे की पहल सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि समाज में संस्थाओं और व्यक्तियों द्वारा किए गए अच्छे काम दूसरों को भी प्रेरित करते है। उन्होंने विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं को बताते हुए लोगों को उसका लाभ लेने के लिए प्रेरित किया।

राज्य सभा सांसद श्रीमती छाया वर्मा ने पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को बधाई देते हुए कहा कि समाज के लिए अच्छे काम दूसरों को भी आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते है। ज्ञानेश शर्मा ने समाज कल्याण के लिए किए गए काम को संत कार्य बताया और विभाग की सराहना करते हुए आगे भी अच्छे काम के लिए शुभकामनाएं दी।

समारोह में नि:शक्तजन के कल्याण हेतु उत्कृष्ट कार्य के लिए सर्वोत्तम जिले की श्रेणी में जांजगीर-चांपा जिला, सर्वोत्तम दिव्यांग कर्मचारी के लिए दृष्टि बाधित श्रेणी में बालोद जिले के तेजराम साहू और धमतरी जिले के अरविंद शर्मा, श्रवण बाधित श्रेणी में रायपुर जिले के सौरभ कुमार पाण्डेय, अस्थि बाधित श्रेणी में रायपुर जिले के रामेश्वर प्रसाद साहू को पुरस्कृत किया गया। सर्वोत्तम स्वैच्छिक संस्था के लिए दृष्टि बाधित श्रेणी में महासमुंद जिले की फॉर्चून फाउण्डेशन समाज सेवी संस्था और श्रवण बाधित संवर्ग के लिए जांजगीर-चांपा जिले के प्रेमधारा चेरिटेबल सोसायटी (नवजीवन मूकबधिर विद्यालय) और सर्वोत्तम दृष्टि बाधित नियोक्ता की श्रेणी में बालोद जिले के खेमराज जनकल्याण संस्था समिति को दिव्यांगजन राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सभी पुरस्कृत लोगों और संस्थाओं को सम्मान राशि का चेक, शील्ड, प्रमाण पत्र और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया।

इस अवसर पर दिव्यांग कल्याण के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ का नाम पूरे देश में रोशन करने वाले राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित संस्था ब्रेल प्रेस, बिलासपुर और नुक्कड़ टी-कैफे वेंचर्स एलएलपी, रायपुर को भी सम्मानित किया गया। इसके साथ उत्कृष्ट कार्यसंपादन, नवाचार और योजनाओं के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के लिए विभागीय उपसचिव राजेश तिवारी, कोरोना काल में लॉकडाउन के समय जरूरतमंदों की मदद के लिए बिलासपुर के समाजसेवी मंजीत सिंह अरोरा और छत्तीसगढ़ सिक्ख फोरम रायपुर को भी सम्मानित किया गया।

इस अवसर पर 122 दिव्यांगजनों को विभागीय योजनाओं नि:शक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना, सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना, शिक्षा प्रोत्साहन योजना, परिवार सहायता योजना और राज्य छात्रवृत्ति योजना से लाभान्वित करते हुए 37.44 लाख रुपये की सहायता राशि का चेक दिया गया। कार्यक्रम में दिव्यांगजनों को अत्याधुनिक कृत्रिम अंग, सहायक उपकरण और उत्थान सब्सिडी से भी लाभान्वित किया गया।

छोटे रकबे वाले किसान होंगे रोजगार से वंचित

कोरबा। एसईसीएल की ग्राम करतली में प्रस्तावित अंबिका खुली खदान के प्रभावितों के लिए विधिक सलाह व सहायता शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर हाई कोर्ट के अधिवक्ता कमल किशोर पटेल ने प्रभावित किसानों को विधिक जानकारी दी, साथ ही उनके केस लडऩे की भी बात कही। लगभग 350 लोगों के चार गुना मुआवजा का आदेश भी ग्रामीणों को बताया। साथ ही आगे काबिज वनभूमि का मुआवजा, रोजगार, मुआवजा बसाहट से जुड़ी मांगों पर कानूनी सलाह और न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया है।

साउथ इस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड एसईसीएल की पाली ब्लाक में अंबिका ओपनकास्ट खदान खोला जाना है। ऊर्जाधानी भू-विस्थापित किसान कल्याण समिति के ग्राम इकाई ने ग्रामीणों को विधिक जानकारी कार्यक्रम आयोजित किया। इस मौके पर ग्राम इकाई अध्यक्ष जयपाल सिंह खुसरो ने बताया कि सडक़ के लड़ाई के साथ कानूनी मदद भी ली जा रही है। एसईसीएल अपनी कोल इंडिया नीति का हवाला देकर हाथ खड़ा कर लेती है इसका जवाब कानून की मदद से भू-विस्थापितों को अधिकार दिलाया जाएगा। यहां यह बताना लाजिमी होगा कि अंबिका खदान के लिए पाली तहसील के ग्राम करतली, तेंदुभाठा और दमिया के निजी हक की 335.19 एकड़ भूमि व राजस्व वन भूमि 15.52 एकड़ भूमि का अधिग्रहण कोल बेयरिंग एक्ट के तहत किया जा चुका है। भू-अर्जन के एवज में 485 काश्तकारों को 26.72 करोड़ रुपये मुआवजा भुगतान किया जा चुका है और शेष 198 काश्तकारों ने मुआवजा लेने से इंकार कर दिया है। इन काश्तकारों का कथन है कि छोटे रकबे होने के कारण उनको रोजगार से वंचित होना पड़ेगा और उनकी भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। एसईसीएल व शासन सामाजिक सुरक्षा के लिए कोई ठोस निर्णय नही दे पा रहा, ऐसी स्थिति में कोयला खदान खोलने नही दिया जाएगा। भू-विस्थापितों का कहना है कि उनकी परिसंपतियों का मूल्यांकन गलत तरीके से जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा किया गया है। वन भूमि अधिकार पट्टे की जमीन का मुआवजा नही दिया जा रहा है और सन 2012 के बाद लाई गई कोल इंडिया पालिसी के कारण छोटे रकबे वाले किसानों को रोजगार से वंचित कर दिया गया है।

निदेशक ने किया कुसमुण्डा व गेवरा खदान का अवलोकन

कोरबा। एसईसीएल प्रवास के दौरान मुकेश चौधरी, निदेशक (सीपीडी/आईसी) कोयला मंत्रालय भारत सरकार ने आज कुसमुंडा क्षेत्र में फ़र्स्ट माईल कनेक्टिविटी परियोजनाओं का अवलोकन किया। कोयले के त्वरित डिस्पैच के उद्देश्य से विकसित की जा रही यह परियोजना पर्यावरण हितैषी भी है। उन्होंने साइलो के ज़रिए औटोमेटेड रेक लोडिंग प्रक्रिया का भी जायज़ा लिया।

इस मौक़े पर इरकॉन के पदाधिकारीगण, एसईसीएल मार्केटिंग व सेल्स टीम के सदस्य, एरिया प्रबंधन के शीर्ष अधिकारी आदि उपस्थित रहे। तदुपरांत चौधरी गेवरा प्रोजेक्ट में पहुँचे तथा उत्पादन गतिविधियों से रुबरु हुए। उन्होंने जूनाडीह सायडिंग से रेक लोडिंग प्रक्रिया का भी अवलोकन किया। विदित हो कि वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 36 दिन पूर्व हीं एसईसीएल ने गत वर्ष के डिस्पैच के आँकड़े को पार कर लिया है तथा कंपनी एक बड़े डिस्पैच लक्ष्य की ओर अग्रसर है।

पुलिस महानिरीक्षक बिलासपुर ने लिया समीक्षा मीटिंग

- धोखाधड़ी एवं महिला संबंधी अपराधों के निराकरण हेतु दिए निर्देश

कोरबा। पुलिस निरीक्षक बिलासपुर रतनलाल डांगी द्वारा गुरुवार 03 मार्च 2022 को पुलिस अधीक्षक सभागार में जिले के सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी एवं थाना प्रभारियों के साथ समीक्षा बैठक लिया गया। रतनलाल डांगी द्वारा लंबित मामलों के निराकरण, महिला संबंधी अपराधों पर त्वरित कार्यवाही, धोखाधड़ी के लंबित मामलों के शीघ्र निराकरण करने, चिटफण्ड के मामलों में फरार डायरेक्टर्स को गिरफ्तार कर सम्पत्ति चिन्हित कर कुर्क करवाकर निवेशकों को रकम वापस कराने की कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर करने पर विशेष जोर दिया गया। इसी प्रकार गुम बच्चों एवम महिलाओं की दस्तयाबी ए छोटे बड़े सभी प्रकरणों पर पर प्रभावी एवम विधिसम्मत कार्यवाही करने सहित विभिन्न मुद्दों पर निर्देश दिए गए। जिले में विगत 03 माह में सडक़ दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों में कमी आने पर पुलिस अधीक्षक कोरबा भोजराम पटेल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा सहित यातायात डीएसपी शिवचरण सिंह परिहार की प्रशंसा की। समीक्षा बैठक के दौरान रतनलाल डांगी द्वारा जिले के कानून व्यवस्था एवं पुलिसिंग पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि अपराधियों, गुंडे बदमाशों के विरुद्ध लगातार कार्यवाही किया जाए, साथ ही लगातार आपराधिक गतिविधियों में शामिल अपराधियों को गुंडा निगरानी सूची में लाने के साथ-साथ जिला बदर की कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए।

अवैध कोयला यार्ड के संचालक पलेरिया के खिलाफ मामला दर्ज

कोरबा। नकटीखार के पास चल रहे अवैध यार्ड के मामले में पुलिस ने अंशु पलेरिया के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला पंजीबद्ध किया है। बुधवार को पुलिस की टीम ने नकटीखार के पास संचालित अवैध कोयले के भंडारण को जब्त करने की कार्रवाई की थी। इस मामले को जांच के लिए खनिज विभाग के सुपूर्द किया गया था। खनिज विभाग के उपसंचालक के पद पर पदस्थ शिवशंकर ने जांच के बाद इसकी रिपोर्ट रामपुर पुलिस चौकी में दर्ज कराई है।

उन्होने बताया है कि निरीक्षण के दौरान यह बात सामने आई है कि नवनीत उर्फ अंशु पलेरिया निवासी 15 ब्लाक ने अपराधिक षडयंत्र करते हुए छल पूर्वक लाभ अर्जित करने एसईसीएल के खदानों से कोयला चोरी कर भंडारण किया था। यह कोयला भंडारण व अधिनियम के विरूद्ध है। अवैध यार्ड में कार्रवाई के दौरान मोहम्मद अलताफ मिला, जिससे पूछताछ की गई। जेसीबी आपरेटर धनीराम कर्ष से भी बयान लिया गया है। दोनों ने अंशु पलेरिया का कोयला भंडारण होने की पुष्टि की है। मौके से एक जेसीबी भी जब्त किया गया है। आरटीआई कार्यकर्ता मनीष राठौर के खिलाफ भयादोहन किए जाने का अपराध पुलिस ने दर्ज किया है। अंशु पलेरिया ने शिकायत करते हुए कहा है कि बलात्कार के झूठे प्रकरण में फंसा कर जेल भेज देने की धमकी देते हुए मुझसे अब तक लाखों रूपये वसूलता रहा। मैं उसे बैंक एकाउंट व यूपीआइ के माध्यम के लाखों रुपये दे रहा था। वर्ष 2018 से छत्तीस हजार रूपये उसे प्रतिमाह दे रहा हूं। उसका लालच बढ़ गया और चार पहिया वाहन खरीद कर देने कहने लगा, कभी डीजल भरवाने कहता था। वह यह भी धमकी देता था कि तुम्हारा वीडियो मेरे पास है, दो लाख रुपये दो, नहीं तो सार्वजनिक कर दूंगा। पुलिस ने मनीष के खिलाफ धारा 384, 388 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है।

16-18 वर्ष के बच्चे 50 सीसी तक बिना गेयर वाली वाहन का लायसेंस लेकर ही वाहन चालन कर सकते है - जिला न्यायाधीश

कोरबा। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं मान. छ0ग0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के तत्वाधान में माननीय जिला न्यायाधीश-अध्यक्ष महोदय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा के आदेशानुसार 22 फरवरी 2022 से 03 मार्च 2022 तक शास. पी.जी. कॉलेज कोरबा में युवा विधि जागरूकता के तहत यूजीसी नार्मस् आधारित सर्टिफिकेट कोर्स का आयोजन किया गया। युवा विधि जागरूकता कोर्स के तहत् 03 मार्च 2022 को जिला न्यायाधीश-अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा बी.पी. वर्मा, द्वारा अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को संबोधित किया गया। जिला न्यायाधीश वर्मा ने बताया कि 16-18 वर्ष के किशोर-किशोरियों को 50 सीसी बिना गेयर वाली वाहन का लायसेंस बनवाना आवश्यक है। वाहन चलाने के लिए 18 वर्ष या उससे अधिक आयु होने पर ही हल्के-भारी वाहनों का लायसेंस बनवाया जा सकता है।

जिला न्यायाधीश-अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा वर्मा द्वारा ''अपराध'' क्या है, को स्पष्ट किया गया। वर्मा द्वारा अपराध को स्पष्ट करते हुये बताया गया कि ''जो व्यवहार स्वयं को अच्छा (उचित) न लगे, वह व्यवहार दूसरों के साथ करना ही अपराध है।'' माननीय महोदय जी ने अपराध की अर्थ स्पष्ट कर कुछ अपराधों के बारे में बहुत ही सरल शब्दों के माध्यम से कुछ अपराधों के संबंध में समझाया गया जिसमें साधारण मारपीट के केस में आईपीसी की धारा 323, अगर कोई अपराध करने के लिये किसी हथियार का प्रयोग करता है तो आईपीसी की धारा 324, अगर कोई शख्स किसी को गंभीर रूप से चोट पहुंचाता है तो आईपीसी की धारा 325, अगर कोई शख्स किसी घातक हथियार से किसी को गंभीर रूप से जख्मी करता है तो आईपीसी की धारा 326, अगर किसी पर कोई जान लेने की नियत से हमला करता है तो आरोपी को आईपीसी की धारा 307 के तहत् दंडित किया जाता है। साथ ही माननीय महोदय जी उपस्थित विद्यार्थियों-लाभार्थियों को मोटर वाहन एक्ट दण्ड प्रावधान एवं उससे जुड़ें कानून के बारे में स्पष्ट करते हुये बताया गया कि किसी भी वाहन चालक को तीन महत्वपूर्ण बातों '' वाहन का रजिस्ट्रेशन, वाहन का इंश्योरेंस, एवं चालक का वैध लायसेंस'' के बारे में जागरूक किया गया।

प्रबंध निदेशक बिजौरा ने आनंद मेला में की महिला मंडल के सहयोग भावना की प्रशंसा

- बसंतपुर आवासीय परिसर में आकृति महिला मंडल का आनंद मेला

कोरबा। अटल बिहारी वाजपेयी ताप विद्युत गृह के बसंतपुर आवासीय परिसर में आकृति महिला मंडल (सीनियर क्लब) द्वारा आनंद मेला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि छग. राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी के प्रबंध निदेशक एनके बिजौरा एवं उनकी धर्मपत्नी कल्याणी बिजौरा रहीं। प्रबंध निदेशक एनके बिजौरा ने व्यंजनों की तारीफ करते हुए आनंद मेला के आयोजन की भरपूर सराहना की। उन्होंने स्तुति महिला मंडल एवं वर्किंग वुमन की सहभागिता की प्रशंसा करते हुए कहा कि ऐसे ही मिलजुलकर कार्य करते रहें।

आकृति महिला मंडल की अध्यक्ष शशि कोसरिया एवं पदाधिकारियों द्वारा मुख्य अतिथि एनके बिजौरा एवं कल्याणी बिजौरा का बाजे-गाजे के साथ आत्मीय स्वागत किया गया। आनंद मेला का शुभारंभ प्रबंध निदेशक एवं अतिथियों द्वारा भगवान श्रीगणेश की पूजा अर्चना कर किया गया। इस दौरान विशिष्ट अतिथि मुख्य अभियंता एचएन कोसरिया, अतिरिक्त मुख्य अभियंता संदीप श्रीवास्तव, राजाबाबू कोसरे, आलोक लकरा, रामजी सिंह, आरजी देवांगन, रजनीश जांगड़े और वरिष्ठ मुख्य रसायनज्ञ आरके तिवारी, एसटीपीएस कोरबा पश्चिम के मुख्य अभियंता एसके कटियार, डीएसपीएम कोरबा पूर्व के कार्यपालक निदेशक एसके बंजारा, केटीपीएस कोरबा पूर्व के मुख्य अभियंता बीडी बघेल, पीजीटीआई कोरबा पूर्व के मुख्य अभियंता पंकज कोले, अधीक्षण अभियंता संजय तिवारी, संकल्प महिला मंडल कोरबा पश्चिम की अध्यक्ष प्रभा कटियार, प्रेरणा महिला मंडल कोरबा पूर्व की अध्यक्ष निवेदिता बंजारा, सोनिया बघेल व वंदना कोले की गरिमामयी उपस्थिति रही।

प्रबंध निदेशक एवं अतिथियों द्वारा आनंद मेला में लगाए गए विभिन्न पकवानों के स्टॉल का निरीक्षण किया। इनमें देहाती बड़ा, केक, मूंगौड़ी, पावभाजी, छोले-भटूरे, गुलाब जामुन, जलेबी, पुलाव, दाबेली, स्वीटकार्न, चाऊमीन, मंचूरियन, इडली, डोसा, चाय, कॉफी और पानी स्टॉल शामिल रहे। आंनद मेला में महिलाओं एवं बच्चों के मनोरंजन के लिए खेल व सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन रखा गया था।

आनंद मेला की आवश्यक व्यवस्था को उपाध्यक्षगण सुनीता जांगड़े, अर्निका लकरा, नीना तिवारी, कमला सिंह, चारू देवांगन, सचिव सर्मिष्ठा सिंह, कोषाध्यक्ष शैला जार्ज, क्रीड़ा सचिव श्वेता परप्यानी, सांस्कृतिक सचिव गोल्डी नेताम द्वारा संभाला गया। आनंद मेला में महिला मंडल की पदाधिकारियों एवं सदस्यों, सिविल एवं इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस समेत समस्त विभाग का भरपूर सहयोग रहा।

SJU - Contact No. +91 9301915303 E-mail ID- sjunion29@gmail.com

Social Justice Union

Registered with Govt. No. 5526

Join SJU

अधिकार से न्याय तक

आवश्यकता

इस संघ का गठनसम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं0 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईज़र श्री तथागत श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च-न्यायालय), एवं गवर्निंग बोर्ड के सदस्यों कु0 सी.बी.वर्मा, श्रीमती ऐकता श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी तकुन्दे एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक उन्नयन अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जावेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य हाथ में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यक्ता, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जावेगा।

उद्देश्य एवं नियुक्तियां

मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जावेगी, और उनमें संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियाँ की जावेंगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

मुख्य बिन्दु

प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जावेगी।

पीड़ित संपर्क करें

संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु

- संघ पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
- पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में महिलाओं के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं संवैधानिक तौर के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जावेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जावेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जावेगी।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन् तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
- संघ द्वारा संवैधानिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित रिसर्च कार्यक्रम किए जावेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जावेगा।
- संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के भूले बिसरे पर महान विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित करायेगा।

पढ़िए .... न्यायसाक्षी समाचार-पत्र

:: Address ::
Behind Stadium
Near Career
School, Raigarh,
C.G.
Pin 496001

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।

Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU